

**मांग संख्या 55**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1-2**

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजना अंतर्गत) मजदूरी एवं अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु राशि रूपये 125.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजना अंतर्गत) अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है । इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4-5**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत मजदूरी एवं कार्यालय व्यय हेतु राशि रूपये 155.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 115.00 लाख का व्यय संभावित है । रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7-8**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत मेडिसिन किट, प्रीस्कूल किट व अन्य उपकरण हेतु राशि रूपये 130.00 लाख का व्यय संभावित है । इस हेतु रूपये 200 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 9-19**

राज्य महिला आयोग के वेतन-भत्ते, मजदूरी एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत राशि रूपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।